प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.09.2026

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुल 03शातिर चोर लूटेरे/अभियुक्त)02 अभियुक्त घायल अवस्था में(गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध देशी तमंचे .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस एवं मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस मुठभेड़गिरफ्तारी का विवरण/ः-

दिनांक 10/11.09.2026 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि फैक्ट्री एरिया में मोटरसाईकिल पर तीन व्यक्ति किसी आपराधिक घटना की फिराक में है तथा उनके पास अवैध हथियार भी हो सकते हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मंगल पाण्डे मार्ग पर लोहियानगरसी ब्लाँक कट के पास चैकिंग , कीगयी। मोटरसाईकिल सवार तीनों व्यक्तियों के आने पर रूकने का ईशारा किया गया लेकिन पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार तीनों व्यक्ति मो लेकर 0सा0भागने लगे मोटरसाईकिल फिसलने के कारण गिर गया जिसमें से एक व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया गया तथा भागने वाले दो व्यक्तियों का पीछा करने पर दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गये। घायल अवस्था में दोनों को गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1. शाहरूख उर्फ इमरान पुत्र नसीम उर्फ भूरा निकस्बा सरधना थाना सरधना जनपद मेरठ हाल ,धर्मपुरा मौ0 0 – पता पानी की टंकी के पासमुठभेड़) वर्ष 26 उम्र करीब ,गाजियाबाद रफीकाबाद डासना थाना मसूरी कमि0 , (में घायल
2. इमरान पुत्र शहीद उर्फ सईद निउम्र ,गाजियाबाद रफीकाबाद डासना थाना मसूरी कमि0 ,धोबी वाली गली 0 (मुठभेड़ में घायल) वर्ष 26 करीब
3. सोनू पुत्र स्व– मूल पता अब्दुल सत्तार नि0 0 ग्राम घूँघराला थाना हफीजपुर जनपद हापुड– हाल पता , मयूर विहारहाजी के ,नूरानी मस्जिद के पास , मकान में किराये पर 28 उम्र करीब ,गाजियाबाद थाना मसूरी कमि0 , वर्ष

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

अभियुक्त शाहरूख उर्फ इमरान उपरोक्त के विरूद्ध हत्याअभियोग 13 चोरी व हत्या के प्रयास आदि के कुल , पंजीकृत हैं।

अभियुक्त इमरान पुत्र शहीद उर्फ सईद उपरोक्त के विरूद्ध लूटअव ,ैध शस्त्र व चोरी आदि के कुल अभियोग 04 पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

02 अवैध देशी तमंचा .315 बोर

01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

02 खोखा कारतूस .315 बोर

एक मोबाईल नथिंग कम्पनी

घटना में प्रयुक्त स्पलेण्डर मोटरसाइकिल संख्या UP15 FD7747

गिरफ्तार करने वाली टीमः -

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 10.09.2026 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त लूट /बलवा/ मारपीट कर उपहति कारित करने, गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने, हत्या का प्रयत्न करने, धोखाधडी/छल करने, आपराधिक षडयंत्र रचने, आपराधिक अतिचार तथा महिलाओ के विरूद्ध अपराध करने, जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 05 विपक्षी/ अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0 सं0	वाद संख्या	थाना	विपक्षी का नाम व पता	आपराधिक इतिहास
1	32/2026	मसूरी	अंकुश उर्फ काले पुत्र कमल निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 211/2025 धारा 109(1),3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन बापूधाम, 2. मु0अ0सं0 559/2025 धारा 309(4),317(2) बीएनएस थाना कविनगर
2	105/2026	लोनी	दीपक पाल पुत्र पप्पू पाल निवासी न्यू विकास नगर, थाना लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 76/2026 धारा 115(2),351(3),352 बीएनएस थाना लोनी, 2. मु0अ0सं0 239/2025 धारा 309(4),317(2),61(2),3(5) बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी
3	112/2026	ट्रोनिका सिटी	नूरहसन पुत्र हाजी अहसान अली उर्फ ऐहसान अली निवासी निकट चर्च पावी सादिकपुर थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 174/2025 धारा 351(3) बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी, 2. मु0अ0सं0 321/2025 धारा 115(2),191(2),329(3),351(2),352 बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी, 3. मु0अ0सं0 380/2025 धारा 329(3),351(2),352,74 बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी, 4. मु0अ0सं0 377/2025 धारा 318(4),336(3),338,340(2)351(3),352,61(2) बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी,
4	113/2026	ट्रोनिका सिटी	अबुल हसन उर्फ आबुल हसन पुत्र ऐहसान अली उर्फ अहसान अली निवासी दौलतपुर थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 437/2024 धारा 420,467,468,471,506,120बी भादवि थाना ट्रोनिका सिटी, 2. मु0अ0सं0 321/2025 धारा 115(2),191(2),329(3),351(2),352 बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी, , 3. मु0अ0सं0 377/2025 धारा 318(4),336(3),338,340(2)351(2),352,61(2) बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी
5	121/2026	मोदीनगर	संदीप उर्फ नन्दू पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम शाहजहॉपुर थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 178/2025 धारा 109(1),309(4),317(2),3(5) बीएनएस थाना भोजपुर, 2. मु0अ0सं0 179/2025 धारा 109(1),3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष **2026 में 66** -विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) तथा वर्ष **2026 में** 48- विपक्षी/अभियुक्त को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से बिना नम्बर प्लेट लगी चोरी की 04 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 11.09.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. आर्यन पुत्र राकेश कश्यप निवासी लंकापुरी बिसोखर थाना मोदीनगर गाजियाबाद 2. शादाब उर्फ अंडवा पुत्र इंतजार निवासी किदवईनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मेरठ से चोरी की गई 02 मोटरसाइकिल समेत कुल 04 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। अन्य 02 मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिलें हमने अलग-अलग जगह से चोरी की थी और सारा रोड गोविन्दपुरी के पास झाडियों में छुपाकर रख दिया था जिनको हम बेचने की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

1.आर्यन पुत्र राकेश कश्यप निवासी लंकापुरी बिसोखर थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष
2.शादाब उर्फ अंडवा पुत्र इंतजार निवासी किदवईनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से बिना नम्बर प्लेट लगी चोरी की 04 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिलों की बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व जनपद मेरठ में उक्त मोटरसाइकिल चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त शादाब के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर चोरी, गैंगस्टर एक्ट व मारपीट के सम्बन्ध में 04 अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.08.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 30.08.2026 को समय सायं लगभग 04:30 बजे प्रार्थी के भाई रिंकू उर्फ रिशांत पुत्र निरंजन शर्मा द्वारा गाँव के ही सोनू उर्फ कार्तिक शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा निवासी ग्राम कनौजा को भाई न बोलने पर उक्त सोनू द्वारा अपने चचेरे भाई मोहित पुत्र जीतू व अन्य सोएब पुत्र पेले, छोटा मोहित पुत्र सीताराम, दीपु पुत्र कुल्लन, विकास शर्मा पुत्र कृष्ण, प्रिंस पुत्र जीतू व जीतू पुत्र

रिछपाल व कुछ अन्य के साथ मिलकर प्रार्थी के भाई रिंकु उर्फ रिशांत पुत्र श्री निरंजन शर्मा के साथ विवाद/मारपीट की गयी। सूचना मिली तो प्रार्थी के चाचा देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राजाराम व अन्य परिवारजन झगड़े में बीच-बचाव के लिए आये तो मोहित पुत्र जीतू व सोएब पुत्र पेले द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर तलवार लेकर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों पर जान से मारने की मंशा से हमला कर दिया गया, साथ ही विपक्षीगण उपरोक्त द्वारा प्रार्थी के घरों में घुसकर भी मारने का प्रयास किया गया। घटना का शोर शराबा सुनकर मौके पर ग्रामवासियों के एकत्रित हो जाने पर विपक्षी उपरोक्त प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये। इस घटना में प्रार्थी मनीष कुमार व परिवारजन अंकित शर्मा व सचिन शर्मा पुत्रगण सत्यप्रकाश शर्मा व रिंकू उर्फ रिशांत शर्मा पुत्र निरंजन शर्मा को काफी गंभीर चोटे आई है तथा प्रार्थी के चाचा देवेन्द्र शर्मा पुत्र राजाराम को मेडिकल उपचार के लिए जीवन अस्पताल मोदीनगर में ले जाया गया तो वहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2),191(3),190,103(1), 109(1),115(2),351(3),333 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात उपरोक्त अभियोग में पूर्व में 07 अभियुक्तों 1. सोनू उर्फ कार्तिक शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा 2. सोएब पुत्र शेर मोहम्मद पेले 3. प्रिंस पुत्र जीतू 4. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रिछपाल 5. दीपू त्यागी पुत्र कुलदीप त्यागी उर्फ कुल्लन 6. मोहित उर्फ छोटा मोहित उर्फ ऋतिक पुत्र सीताराम 7. विकास शर्मा उर्फ सैंकी पुत्र कृष्ण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

तत्पश्चात दिनांक 10.09.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहित शर्मा पुत्र जितेन्द्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम कनौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 30.08.2026 को मेरा झगडा हमारे ही गाँव के रिंकू व अंकित के साथ हो गया था, जिसमें मेरे परिवारजन, मेरे पापा जितेन्द्र उर्फ जीतू व मेरा भाई प्रिंस मौकै पर पहुँच गये थे. हम दोनो पक्षों में काफी झगडा हुआ उसी दौरान मोहित उर्फ ऋतिक, सोएब, दीपू, विकास शर्मा उर्फ सैंकी ये लोग भी मौके पर मौजूद थे और मौके पर मुझे भी चोट आ गयी थी, मेरी चोटों को देखकर मेरे पक्ष के लोग उत्तेजित हो गये थे, मैंने और मेरे पिता जी जीतू उर्फ जितेन्द्र ने तलवार से व मेरे साथियों द्वारा डण्डा, लोहे की

रॉड व फावडे से देवेन्द्र शर्मा, अंकित शर्मा, रिंकू शर्मा व मनीष शर्मा के ऊपर वार कर दिया था जिसमें देवेन्द्र के तलवार लगने के कारण उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित शर्मा पुत्र जितेन्द्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम कनौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये आभूषण बरामद।

दिनांक 25.08.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर का ताला तोडकर सोने, चांदी के आभूषण व रूपये चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा- 331(4)/305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी का माल बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए चोरी करने वाले अभियुक्त आरिफ उर्फ काला पुत्र हसरत निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड, उम्र करीब 27 वर्ष को चोरी के आभूषण (01 गले का सेट पीली धातु, 01 मंगलसूत्र पीली धातु, 01 टीका पीली धातु, 01 पेंडल पीली धातु, 01 नथ पीली धातु, 02 अंगूठी पीली धातु, 02 गले के ॐ (ओम) पीली धातु तथा 01 जोड़ी कानों के कुण्डल पीली धातु तथा सफेद धातु के जेवरातों में 05 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 गले का हार सफेद धातु) सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 11.09.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले सह-अभियुक्त फुरकान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड, उम्र करीब 27 वर्ष को थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 जोडी पायल सफेद धातु व 02 जोडी बिछुआ सफेद धातु बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पास से जो सफेद धातु के आभूषण बरामद हुये हैं, ये मैंने अपने साथी आरिफ उर्फ काला व समीर के साथ रात में ग्राम सुक्कन गढी से चोरी किये गये थे। मैं इनको बेचने के लिये हापुड़ जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फुरकान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड, उम्र 27 वर्ष।

वांछित अभियुक्त - समीर

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 जोडी पायल सफेद धातु व 02 जोडी बिछुआ सफेद धातु बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, पूर्व में भी 01 चोरी का अभियोग थाना भोजपुर पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर दो अपराधियों को दिलाई 10 वर्ष व 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25 हजार तथा 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री मनीष कुमार मिश्रा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत् समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्री सतीश कुमार शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना कविनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा-363/366/376(2)/354क/368 भादवि तथा धारा 4 व 16/17 पॉक्सो अधिनियम में अभियुक्तों 1- पप्पू सिंह पुत्र ध्रुव सिंह निवासी सैनी खैनपुर, सैक्टर-12 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर 2- भीष्मपाल पुत्र मुंशी सिंह निवासी ग्राम पचौरा जंगल थाना सोरो, कासगंज को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0- 02 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 11.09.2026 को अभियुक्त पप्पू सिंह उपरोक्त को धारा-376(2) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त भीष्मपाल उपरोक्त को धारा 354क भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 368 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 17 पॉक्सो अधिनियम में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तों द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को अगवा करके ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में दिनांक 27.09.2015 को थाना कविनगर पर वादिया द्वारा उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री सतीश कुमार शर्मा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)	**मु0आ0 सतकुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 राजीव वर्मा** पैरोकार थाना कविनगर